न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 121/2017 **दायरा दिनांक : 04.09.2017**

उनवान

1– प्रभूलाल आत्मज वीरभान जाति रेबारी आयु 62 साल निवासी राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– नानीबाई बेबा किशना जाति गुर्जर निवासी राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

2– गजरीबाई उर्फ अमरीबाई पुत्री चतरा जाति रेबारी साल निवासी राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

3– हंसराज आ0 रूकमणी जाति रेबारी साल निवासी राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

4– अनोखीबाई पुत्री रूकमणी जाति रेबारी निवासी राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

5– मांगीलाल आ0 रामनारायण जाति गुर्जर निवासी राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

6– भंवरीबाई बेबा प्रभू जाति गुर्जर निवासी राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

7– रामलाल आ0 नाथू जाति रेबारी साल निवासी राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

8– बापू आ0 नाथू जाति रेबारी साल निवासी राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

9– गीताबाई पुत्री नाथू जाति रेबारी साल निवासी राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

10–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री राजेन्द्र कुमार टाटोटिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.04.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 558/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 05.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पाडेन्टगण के खिलाफ एक दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 90, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम राजपुराखुर्द तहसील झालरापाटन में नया खाता संख्या 20 पुराना 57 के आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.3100 हैक्टर, नया खाता संख्या 64 पुराना खाता संख्या 71 खसरा नम्बर 227 रकबा 0.4100 हैक्टर, नया खाता संख्या 37 पुराना 59 की खसरा नम्बर 274 की 1.6200 हैक्टर, नया खाता संख्या 32 पुराना 56 की खसरा नम्बर 226 की 0.7200, नया खाता संख्या 49 पुराना 60 की खसरा नम्बर 230 रकबा 0.4300 हैक्टर कुल 3.4900 हैक्टर आराजी स्थित है जिस पर वादी 40–45 वर्ष से बिना किसी अवरोध के काश्त कर रही है। वादी के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है।

प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने पर आमादा है अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.06.17 को दावा वादी खारिज किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिबद्व है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 में मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट को निर्णय की नकल दिनांक 02.08.2017 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की और से किसी की उपस्थिति नही आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा 45 वर्ष से है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 सकुनत छोडकर जा चुके है। वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है।

वादी ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है जबकि माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच व माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर की फुल बैच के निर्णय अनुसार कृषि भूमि में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। इस प्रकार वादी का दावा विधिक प्रावधानों के अनुसार पोषनीय नही है एवं खारिज होन योग्य है।तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा